

कार्यालय निदेशक . माध्यमिक शिक्षा . राजस्थान . बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा./माध्यमिक /अ-4/केमाशिबो/10-11

दिनांक: 23.6.2010

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,

शिक्षा केंद्र-2 सामुदायिक केंद्र

प्रित विहार, दिल्ली-1100092

विषय :- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सी.आई.एस.सी.ई.से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार के पत्रांक प-14(8) शिक्षा-1/2009 पार्ट-11 जयपुर दिनांक 22.6.10 की पालाना में निम्नांकित विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एवं सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं निभाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है व परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	संबद्धता	सत्र	माध्यम
19	श्री चन्द्रसागर दिगम्बर जैन विद्यालय, सवाईमाधोपुर	CBSE	2010-11	अंग्रेजी
20	सेन्ट्रल पब्लिक सी0 सैकण्डरी स्कूल, तलवण्डी, कोटा	CBSE	2010-11	अंग्रेजी
21	संस्कार इन्टरनेशनल स्कूल, शिवपुरी दौसा रोड, मनोहरपुर, शाहपुरा, जयपुर	CBSE	2010-11	अंग्रेजी

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, सचिवालय जयपुर।
4. उपशासन सचिव-प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक).....
7. सम्बन्धित विद्यालय/सचिव

MANAGER
Central Public School

PRINCIPAL
Central Public School

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान